

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/ 8175

जयपुर, दिनांक: 17/11/14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 4138 दिनांक 19.9.2014 एवं पत्रांक 7709 दिनांक 8.11.2014

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु आयोग के पत्रांक 7709 दिनांक 8.11.2014 से कार्यक्रम घोषित किया गया था। किन्तु कुछ जिलों से मतदाता सूचियों से संबंधित सूचनाएं अपलोड नहीं होने के कारण पूर्व कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 18.11.2014 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन कराया जाना संभव नहीं है। अतः संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है –

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	24 नवम्बर, 2014 (सोमवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वाडों/मतदान केन्द्रों पर पठन	25 व 26 नवम्बर, 2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	3 दिसम्बर, 2014 (बुधवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	29 एवं 30 नवम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	11 दिसम्बर, 2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	17 दिसम्बर, 2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	23 दिसम्बर, 2014 को

आपको जिन ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के पीडीएफ प्रेषित किए जा चुके हैं, उनसे मुद्रित करवायी गई मतदाता सूचियों में प्रारूप प्रकाशन की दिनांक के सामने, खाली स्थान या पूर्व कार्यक्रमानुसार अंकित दिनांक हो तो, वहाँ पर खड़ मोहर अथवा हस्तलिपि से उक्तानुसार दिनांक अंकित करावें। साथ ही किन्हीं किन्हीं ग्राम पंचायतों के नाम मतदाता सूचियों में अंग्रेजी में अंकित हो गए हैं, उन मतदाता सूचियों में ग्राम पंचायतों के नाम हिन्दी में हस्तलिपि से अंकित करावें।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 17/11/14

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/ 8176-84
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव/सहायक, सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
8. कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।
9. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव,